पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर.–305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/जय–115/चूप–03 दिनांक : 05.07.2017

प्रेषित : श्री मनोहर लाल लाहोटी, एजेन्ट
मोहनपुरा–जोधपुरा चूना पत्थर खदान,
मैसर्स अल्टाटेक सीमेंट लि.
ग्राम– मोहनपुरा–जोधपुरा,
तहसील–कोटपुतली, जिला–जयपुर–303108(राजस्थान)

विषय : राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित आपकी मोहनपुरा–जोधपुरा चूना पत्थर खान क्षेत्रफल 548.78 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.05.2017 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :–

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(2)	Mining operations are not being carried out in accordance with the scheme of mining approved vide letter no584(6)(3)(561)/2014-RCM-AJM dated 03/10/2014 to the extent indicated below:- (i) Proposal for development has been given from E 3.5 – W 2.5 but the actual development has been carried out between E 2.3 – W 2.5. (ii) Benches are not properly developed towards north eastern side as per the proposal given in the approved scheme of mining. (iii) Proposed quantity of waste generation during the year 2016-17 was 537613 Cum whereas the actual quantity of waste generated during the year 2016-17 is 414583 Cum which is about 20% less than the approved quantity. (iii) The proposed location for waste dump WD2 is given as S0.5-N3.5/W2.5-W4.5, but the actual location for waste dump WD2 is N1.2-N2.3/W2.5-W4.5 differs with the approved location.
26(2)	The yearly report (2015-16) setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as per the proposals given in the approved mine closure plan to be submitted before 1 July 2016 to the Regional Controller has not been submitted till date.
33	Copies of the plans and sections maintained under rule 32 have not been submitted to the Regional Controller of mines, Indian Bureau of Mines, Ajmer.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गतः

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं
(ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डॉ.ए.जेड.खान)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं/प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
2 खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो